

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 14/12/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 11 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 257.53 लाख (दो करोड़ सतावन लाख तिरेपन हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	257.530

कुल आवंटित राशि - रुपये दो करोड़ सतावन लाख तीरेपन हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि 11675.14 लाख (एक सौ सोलह करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि०) दि० 15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)




(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरान्त ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 149

रॉची, दिनांक :- 14/12/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनूरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा /देवघर /गुमला/मधुपुर/हजारीबाग/साहेबगंज/राजमहल/देवघर/चाईबासा/चक्रधरपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 149

रॉची, दिनांक :- 14/12/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
नांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक... 142 दिनांक... 14/12/2022 को अनुलग्नक

पशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2020-2021		विरुध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			विरुध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां			विरुध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र०सं०	कार्यालय का नाम	वित्त कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एल०पी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,ई.ई. कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अधिवृत्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	विश्व कोड 48S2701030010 70101	120.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	121.300						
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, संबो	पूर्व का आवंटन	10.000	0.000	0.000	1.000	0.750	0.000	0.400	0.150	0.000	0.300	1.000	0.000	13.600						
		कुल आवंटन	130.000	0.000	0.000	1.300	1.150	0.000	0.400	0.250	0.000	0.300	1.500	0.000	134.900						
3	जलपथ अंचल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	158.000	0.000	0.200	0.200	0.750	0.000	0.400	0.150	0.000	0.000	1.000	0.100	159.300						
		कुल आवंटन	158.000	0.000	0.200	0.500	1.150	0.000	0.400	0.250	0.000	0.000	0.000	1.500	0.100	162.100					
4	रूपकाण अंचल, देवघर	पूर्व का आवंटन	147.000	0.000	0.150	0.500	0.850	0.000	0.200	0.050	0.000	4.000	1.000	0.100	153.850						
		कुल आवंटन	0.000	0.000	0.150	0.200	0.100	0.000	0.000	0.100	0.000	1.000	0.200	0.000	1.750						
5	सिंचाई अंचल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन	147.000	0.000	0.300	0.700	0.950	0.000	0.200	0.150	0.000	5.000	1.200	0.100	155.600						
		कुल आवंटन	92.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	92.950						
6	अग्रिम योजना प्र०, संबो	पूर्व का आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.550						
		कुल आवंटन	92.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.250	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	93.500						
7	जलपथ प्रमंडल, गुमला	पूर्व का आवंटन	180.000	0.000	0.100	0.800	0.500	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.200	183.250						
		कुल आवंटन	110.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	110.500						
8	जलपथ प्रमंडल सं-1, बकधपुर	पूर्व का आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000						
		कुल आवंटन	150.000	0.000	0.200	0.250	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	150.500						
9	विशेष नू-अर्जन पराठ, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	192.000	0.000	0.200	0.200	0.450	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	192.500						
		कुल आवंटन	100.000	0.000	0.000	1.300	0.450	1.500	0.200	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	104.450						
9	विशेष नू-अर्जन पराठ, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	292.000	0.000	0.000	1.500	0.700	1.500	0.200	0.050	0.000	1.000	0.000	0.000	296.950						
		कुल आवंटन	165.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	165.500						
9	विशेष नू-अर्जन पराठ, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	50.430	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.200	0.000	0.000	1.500	0.000	0.000	52.630						
		कुल आवंटन	215.430	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.200	0.050	0.000	1.500	0.000	0.000	218.130						
9	विशेष नू-अर्जन पराठ, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	163.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	163.800						
		कुल आवंटन	38.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38.000						
9	विशेष नू-अर्जन पराठ, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	201.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	201.800						
		कुल आवंटन	201.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	201.800						

(सचिव प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-2021			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय										विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं 0	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलवेटिंगसी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियावा, रस्, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं परमर्चि	विधि प्रसार	कुल योग	अभिमुक्ति																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17														
1	2	3	विपत्र कोड	45S2701030010 70101	45S27010300 1070110	45S270103001 070112	45S27010300 1070213	45S270103001 070315	45S27010300 1070316	45S270103001 070333	45S27010300 1070334	45S27010300 1070337	45S270103001 070442	45S270103001 070760	16	17																
10	सिवाई प्रमंडल, बड़हरवा	पूर्व का आवंटन	115.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	115.450																	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.200	0.000	0.000	0.500	0.000	0.100	0.950																		
		कुल आवंटन	115.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.200	0.000	0.500	0.000	0.100	116.400																		
11	सिवाई प्रमंडल, सी०-1, बरहेट	पूर्व का आवंटन	119.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	119.450																	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500																	
		कुल आवंटन	119.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	119.950																		
	अतिरिक्त आवंटन का योग	238.430	0.000	0.450	3.500	3.500	1.500	1.650	0.500	0.000	4.300	2.800	0.900	257.530																		

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मर में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शुरू मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख तीसपन हजार मात्र

राजेश प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

(अशाक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

प्रशांत कुमार
(सचिव)